बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

आदेश

शुद्धि पत्र

सं0सं0–18 प्रो०को० / विविध –01–40 / 2025 स्वा०, पटना, दिनांक–

स्वास्थ्य विभागीय अधिसूचना सख्या–40(प्रो०को०) दिनाक–23 03 2017 के द्वारा डा0 उषा कुमारी, चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सुल्तानगज, भागलपुर को प्रथम डायनेमि५ ए०सी०पी० का लाभ दिनाक–18 07 2012 एव तृतीय डायनेमिक ए०सी०पी० का लाभ दिनांक–11 07 2010 के प्रभाव से अनुमान्य किया गया है।

विदित हो कि डा0 उषा कुमारी के बिहार सरकार मे प्रथम प्रभार ग्रहण की तिथि–18 07 2000 है एव दिनाक–11 07 2010 तक इनकी सेवा लगभग 10 वर्ष पूरी होती है, जो तृतीय डी०ए०सी०पी० हेतु अनिवार्य अर्हक सेवा 18 वर्ष से कम है। वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग ने भी अपने पत्राक–536(25) दिनाक–11 03 2025 एव 1182(25) दिनाक–10 06 2025 के द्वारा डा0 उष कुमारी के तृतीय डी०ए०सी०पी० हेतु अर्हक सेवा पूरी नही होने के कारण उपरोक्त तृतीय डायनेमिक ए०सी०पी० स्वीकृति को नियमानुकूल नही बताया गया है।

अत विषयाकित मामले की समीक्षा करते हुए डा0 उषा कुमारी, चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सुल्तानगंज, भागलपुर को स्वास्थ्य विभागीय अधिसूचना सख्या–40(प्रो०को०) दिनाक–23 03 2017 के क्रम सख्या–151 के अन्तर्गत कॉलम सख्या–08 मे अकित तिथि 11 07.2010, लिपिकीय त्रुटिवश अंकित होने के कारण विलोपित करते हुए तृतीय डी०ए०सी०पी० के लाभ को रद्द किया जाता है। इस अधिसूचना द्वारा उन्हे प्रथम डी०ए०सी०पी० की अनुमान्यता यथावत् रहेगी।

2. स्वास्थ्य विभागीय अधिसूचना सख्या–40(प्रो०को०) दिनांक–23.03.2017 को इस हद तक सशोधित समझा जाए।

इस पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

अनुलग्नक :–स्वास्थ्य विभागीय अधिसूचना सख्या–40(प्रो०को०)
दिनाक–23.03 2017 की छाया प्रति।

विश्वासभाजन
ह0 / –
(मो0 शफीक)
सरकार के संयुक्त सचिव
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–18 प्रो0को0 / विविध –01–40 / 2025 63 (18) **पटना, दिनांक–** 30-06-2025

प्रतिलिपि :–महालेखाकार (लेखा एव हकदारी), बिहार / प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को० विभाग, बिहार, पटना / सिविल सर्जन, भागलपुर / कोषागार पदाधिकारी भागलपुर / प्रभारी पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सुलतानगंज, भागलपुर क सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :–डा0 उषा कुमारी, चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सुल्तानगज को सूचनाथ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– आई० टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट प प्रकाशानार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना

D/Nikhil Jee/Aadesh

(43)

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				19.8.2009	28.?.2016
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				18.1.2009	11.7.2013
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				1.?.2010	
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]					?.11.2013
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			11.?.2010	19.7.2013	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				11.?.2013	
153	[illegible]	[illegible]	11.8.?	?.2009				1.?.2014	
154	[illegible]	[illegible]	[illegible]	11.1?.?6				1.11.2013	
155	[illegible]	[illegible]	[illegible]	?.1.2008				9.1.2014	
156	[illegible]	?2010	[illegible]	1.?.2007				?.?.2013	
157	[illegible]	BPSC/?/?	6.1.6?	?.1?.0?				18.11.2013	
158	[illegible]	[illegible]	[illegible]	?.11.200?				13.11.2013	
159	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				1.1.?.2013	
160	[illegible]	0	11.1?.?0	10.1?.2007				10.12.2013	
161	[illegible]	0	1?.?.73	8.8.2008				8.8.2014	
162	[illegible]	0	1.?.61	11.?.2007				4.1?.2013	
163	[illegible]	[illegible]	?.1.1?	1.1?.76			1.1.2006		
164	[illegible]	0	?1.1?.6?	?.6.2008				5.6.2014	
165	[illegible]	[illegible]	?.8.??	1?.11.?00?				13.11.2013	
166	[illegible]	[illegible]	[illegible]	?.?.2008					
167	[illegible]	[illegible]	18.1.7?	1.1.?.2008				15.6.2015	
168	[illegible]	0	6?.06	?.?.07				3.1.2015	
169	[illegible]	0	??.11.??	?.6.2008				5.6.2014	
170	[illegible]	[illegible]	?.1?.??	1.11.2008				27.3.2015	
171	[illegible]	[illegible]	?.1.??	1?.?.2007					13.11.2015
172	[illegible]	[illegible]	11.?3	?.1.81			1.1.2006		
173	[illegible]	[illegible]	11.0?.?	01.1?.83			1.1.2006		

[illegible]

अजनी कुमार मिश्र
सरकार के अवर सचिव

[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6] PB-4	[7] PB-3	[8] PB-4	[9] PB-4	[10] PB-3	[11] PB-4
1	[illegible] अहमद	1745	[illegible]	[illegible]			1.1.2006			
2	[illegible] प्रसाद [illegible]	2037	5.9.46	14.2.73			1.1.2006			
3	[illegible]	217[illegible]	[illegible]	[illegible]			1.1.2006			
4	[illegible]	2455	17.4.48	26.9.7[illegible]	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	25.11.2008	25.11.2008	25.11.2008
5	[illegible]	2626	20.8.50	8.6.[illegible]	4.9.2009	4.9.2009	4.9.2009	4.9.2009	4.9.2009	4.9.2009
6	[illegible] प्रसाद [illegible]	26[illegible]7	[illegible]	[illegible]				17.2.2010	17.2.2010	17.2.2010
7	श्रीमती [illegible] मिश्र, [illegible]	2679	[illegible].10.47	4.[illegible].77			1.1.2005			
8	[illegible]	2740	[illegible].07.947	[illegible]			1.1.2006			
9	डा० [illegible] कुमार	279[illegible]	02.06.[illegible]	[illegible]			1.1.2006			25.11.2008
10	[illegible] एस० डी० [illegible]	[illegible]911	17.5.49	18.10.78			1.1.2006			
11	[illegible] मो० [illegible] अहमद	3,05[illegible]	3.6.49	19.3.7[illegible]			1.1.2006			25.1[illegible].2008
12	[illegible]	325[illegible]	23.6.51	22.3.79			1.1.2006			25.11.2008
13	[illegible] विनोद शंकर [illegible] ([illegible])	33[illegible]4	23.11.52	[illegible].3.79			1.1.2006			
14	डा० सच्चिदानन्द सिंह	332[illegible]	1.5.52	[illegible]			1.1.2006			25.11.2008
15	[illegible]	3324	13.05.1952	[illegible]				1.7.2013	1.7.2013	1.7.2013
16	डा० अली [illegible] खाँ	3492	1.6.47	15.1.8[illegible]			1.1.2006			
17	स्व० डा० महेन्द्र प्रसाद [illegible] (से०नि० 31.8.2011)	35[illegible]1	12.6.50	12.[illegible].79			1.1.2006			25.11.2008
18	डा० [illegible] प्रसाद	3536	21.01.50	21.[illegible].76	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	25.11.2008	25.11.2008	25.11.2008
19	[illegible] कुमार	3559	4.8.50	26.[illegible]			1.1.2006			25.11.2008
20	डा० [illegible] कुमार सिंह ([illegible])	3730	3.5.5[illegible]	22.3.79			1.1.2006			
21	[illegible] प्रसाद	3751	1.7.47	16.3.81	1.1.2006	1.1.2005	1.1.2006			
22	डा० स्व० [illegible] किशोर सिंह	3911	4.1.48	1.4.81			1.1.2006			
23	डा० [illegible]	3921	3.7.47	14.1.[illegible]				1.1.2005		
24	[illegible]	3993	5.6.53	6.7.8[illegible]	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	25.11.2008	25.11.2008	25.11.2008
25	डा० [illegible] सिंह	4064	27.9.52	25.6.81	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	25.11.2008	25.11.2008	25.11.2008
26	डा० [illegible] कुमार मिश्रा	4166	24.9.53	15.7.81	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	25.11.2008	25.11.2008	25.11.2008
27	डा० [illegible] मिश्रा (से०नि०)	4262	[illegible].10.47	1[illegible].7.8[illegible]			1.1.2006			
28	[illegible] चौधरी	4310	[illegible]1961	[illegible]	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	25.11.2008	25.11.2008	25.11.2008
29	स्व० डा० [illegible] गुप्ता (पत्नी - [illegible] गुप्ता)	4372	[illegible]1962	[illegible]			1.1.2006			

[illegible] [illegible] [illegible] 1[illegible].[illegible].17

(46)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] 25 11 2008 [illegible] प्रथम वित्तीय उन्नयन (वेतनमान पी0बी0-3 ग्रेड पे-6600), 12 वर्षों की सेवा [illegible] पदाधिकारी के साथ [illegible] द्वितीय वित्तीय उन्नयन (वेतनमान पी0बी0 3 [illegible] (उप मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी) के साथ द्वितीय वित्तीय उन्नयन (वेतनमान पी0बी0 3 ग्रेड पे-7600) एवं 18 वर्षों की सेवा पूरी होने पर पद के स्तर के उन्नयन (मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी) के साथ तृतीय वित्तीय उन्नयन का लाभ (वेतनमान पी0बी0-4, ग्रेड पे-8700) दिये जाने का प्रावधान है जिसकी प्रभावी तिथि 25 11 2008 है ।

स्वास्थ्य विभाग के अधिसूचना स0 1217(17) दिनांक 13 10 2008 एवं 577(17) दिनांक 07 06 2011 द्वारा बिहार चिकित्सा शिक्षा सेवा सम्वर्ग के चिकित्सा पदाधिकारियों को डायनेमिक ए0सी0पी0 का वित्तीय लाभ बिहार स्वास्थ्य सेवा सम्वर्ग एवं बिहार चिकित्सा शिक्षा सेवा सम्वर्ग में उनके द्वारा बिताई गई कुल सेवा अवधि क्रमशः 12 एवं 18 वर्षों के बाद सह प्राध्यापक का वेतनमान (पी0बी0-3 ग्रेड पे 7600) एवं प्राध्यापक का वेतनमान (पी0बी0-3, ग्रेड पे 8700) दिये जाने का प्रावधान है, जिसकी प्रभावी तिथि 13 10 2008 है ।

पुनः वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या 3768 दिनांक 29 04 2014 द्वारा उपर्युक्त बिहार स्वास्थ्य सेवा सम्वर्ग एवं बिहार चिकित्सा शिक्षा सेवा सम्वर्ग को डायनेमिक ए0सी0पी0 के प्रभावी तिथियों में संशोधन कर दिनांक 01.01.2006 से वैचारिक रूप से अनुमान्य किया गया है तथा इस तिथि परिवर्तन से होने वाले लाभ की गणना 01 01 2006 से करते हुए इसका वास्तविक लाभ फरवरी 2014 से अनुमान्य किया गया है । लेकिन दोनों सम्वर्गों के पूर्व से अनुमान्य तिथि क्रमशः 25 11 2008 एवं 13 10 2008 से दिये जा रहे डायनेमिक ए0सी0पी0 के लाभ को बरकरार रखा गया तथा वह वसूलनीय नहीं होगा ।

वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या 279 दिनांक 25 11 2008 एवं स्वास्थ्य विभागीय अधिसूचना संख्या 1217(17) दिनांक 13 10 2008 एवं 577(17) दिनांक 07 06 2011 द्वारा क्रमशः बिहार स्वास्थ्य सेवा सम्वर्ग एवं बिहार चिकित्सा सेवा सम्वर्ग के कई चिकित्सा पदाधिकारियों को उपर्युक्त तिथियों को कतिपय कारणों से डायनेमिक ए0सी0पी0 का लाभ नहीं दिया जा सका था तथा उनमें से कुछ अभी भी कार्यरत हैं, कुछ सेवा निवृत्त/ऐच्छिक सेवा निवृत्त हो चुके हैं एवं कुछ की मृत्यु हो चुकी है । उपर्युक्त अधिसूचना के अन्तर्गत डायनेमिक ए0सी0पी0 का लाभ उन्हें देय तिथि से अनुमान्य होगा , लेकिन उनके डी0ए0सी0पी0 की वैचारिक अनुमान्य की तिथि वित्त विभाग के संकल्प संख्या 3768 दिनांक 29 04 2014 के अनुसार परिवर्तित होगी तथा इस तिथि परिवर्तन से हुए लाभ की गणना वैचारिक रूप से दिनांक 01 01 2006 से करते हुए इसका वास्तविक लाभ फरवरी, 2014 से अनुमान्य होगा तथा 25 11.2008 एवं 13 10 2008 से अनुमान्य डायनेमिक ए0सी0पी0 का लाभ बरकरार रहेगा एवं वसूलनीय नहीं होगा । सूची में उल्लेखित जिन चिकित्सकों को 01 01 2006 के प्रभाव से वैचारिक रूप से डायनेमिक ए0सी0पी0 स्वीकृत किया गया है अगर उन्हें वित्त विभाग की अधिसूचना स0 279 दिनांक 25 11 2008 एवं स्वास्थ्य विभाग की अधिसूचना स0 1217(17) दिनांक 13 10 2008 एवं 577(17) दिनांक 07 06 2011 के अनुरूप देय डायनेमिक ए0सी0पी0 पूर्व में स्वीकृत नहीं किया गया उन्हें यह लाभ देय तिथि से अधिसूचित किया जाता है । वित्त विभाग के पत्रांक 1805 दिनांक 23 02 2015 के अनुसार सेवानिवृत चिकित्सकों का पेंशन देयता निर्धारित होगी ।

संलग्न सूची में स्वास्थ्य सेवा सम्वर्ग के कुल-173(एक सौ तेहत्तर) चिकित्सकों को इनके नाम के सामने अंकित तिथि से यथा उल्लेखित प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय डायनेमिक ए0सी0पी0 प्रदान की जाती है ।

आदेश में यदि इस उन्नयन मे कोई त्रुटि पायी जाती है तो सबंधित मामले मे डायनेमिक ए०सी०पी० के तहत दी गई पद के स्तर के उन्नयन स्वीकृति की तिथि से परिमार्जित की जा सकेगी तथा अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली सबंधित चिकित्सको से किया जायेगा ।

डायनेमिक ए०सी०पी० वित्तीय उन्नयन के साथ पद का उन्नयन है अत वेतन / पेशन का निर्धारण वित्त विभाग के मौलिक नियमो के अनुसार होगा ।

इस अधिसूचना मे किसी चिकित्सा पदाधिकारी के नाम / वरीयता क्रमाक / योगदान की तिथि / जन्म तिथि डायनेमिक ए०सी०पी० की अनुमान्यता की तिथि मे कोई सशोधन अपेक्षित है तो इसके लिए प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग को अधिकृत किया जाता है ।

महालेखाकार एव वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग द्वारा अधिसूचित डायनेमिक ए०सी०पी० के सबध मे वेतन पर्ची निर्गत करने के पूर्व उनकी देयता की जॉच कर ली जाएगी ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0 / —

(अजनी कुमार सिन्हा)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापाक–19 / प्र0को0, डी0ए0सी0पी0 / 01–01 / 2016– 420 (ओ०टी०) / स्वा0, पटना, दिनाक 23.3.17

प्रतिलिपि महालेखाकार वीरचन्द पटेल पथ पटना एव वित्त (वै दा नि को) विभाग पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित । उनसे अनुरोध है कि प्राधिकार पत्र निर्गत होने के पूर्व अपने सेवा अभिलेख से यह सुनिश्चित हो ले कि सम्बधित चिकित्सा पदाधिकारी डायनेमिक ए सी पी स्वीकृति हेतु सभी अर्हताएँ पूरी करते है ।

प्रतिलिपि अवर सचिव, सचिवालय मुद्रणालय (प्रशाखा) वित्त विभाग बिहार, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि सम्बधित कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि सम्बधित क्षेत्रीय अपर निदेशक / सम्बधित सिविल सर्जन / सम्बधित मेडिकल कॉलेज एव अस्पताल के प्राचार्य / अधीक्षक तथा निदेशक इन्दिरा गॉधी हृदय रोग सस्थान, पटना / प्राचार्य / अधीक्षक, सबधित दत चिकित्सा महाविद्यालय एव अस्पताल / महानिरीक्षक, कारा (गृह), बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित । उनसे अनुरोध है कि वे अपने स्तर से ज्ञापाक अकित कर अपने जिला सस्थान से सम्बधित चिकित्सा पदाधिकारी को इसकी प्रति निश्चित रूप से प्राप्त करा दे।

प्रतिलिपि माननीय मत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव / विकास आयुक्त–सह–अध्यक्ष विभागीय प्रोन्नति समिति एव सबधित सदस्य / प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के निजी सहायक / निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाये के निजी सहायक / स्वास्थ्य विभाग मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि प्रशाखा पदाधिकारी प्रशाखा- 2,3,7,8,9 एव 17 को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि विभागीय आई0टी0 मैनेजर को सूचनार्थ प्रेषित । उनसे अनुरोध है कि कृपया इस अधिसूचना को इन्टरनेट पर उपलब्ध कराने का कष्ट करे ।

सरकार के अवर सचिव

23.3.17